

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मवाना, मेरठ।

विषय : निजी नलकूप हेतु विद्युत भार की स्वीकृति

पत्रांक: 5440

/वि0वि0ख0-द्वितीय, मवाना/

दिनांक:- 29/08/23

श्री जयवीर,
पिता का नाम:- खडक सिंह,
निवासी ग्राम-खरखाली,
जिला:-मेरठ।

पूर्ण जमा योजना- /2023-24
रजिस्ट्रेशन नं0-1008318323
मोबाईल नं0- 9690067432

महोदय/महोदया

निजी नलकूप/पम्प सैट हेतु आपके आवेदन पत्र जिसका पंजीकरण इस कार्यालय में रजिस्ट्रेशन/प्रक्रिया शुल्क रसीद संख्या-100.00 दिनांक-16.08.2023 के द्वारा हुआ है के आधार पर आपको निम्नलिखित कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। आपकी स्वीकृत संख्या-8.00 एच0पी0, दिनांक- /2023-24 है।

विद्युत स्वीकृति का स्थान-खरखाली,,

विद्युत स्वीकृति का भार-8.00 एच0पी0,

बल्बों पंखे :-120 वाट

यह स्वीकृति निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों से प्रतिबन्धित है:-

1. बिजली की मात्रा सीमित होने पर कुछ समय के लिए बिजली काटी जा सकती है।
2. यदि उपभोक्ता स्वीकृत विधाओं के अतिरिक्त किसी अन्य विधा में बिजली का प्रयोग करता पाया जाता है तो उसका कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिया जायेगा।
3. रोशनी के लिए ट्यूबवेल पर 60 वाट बल्ब सीरीज में लगाये जा सकता है।
4. निजी नलकूप/पम्पिंग सैट के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है अन्यथा उपभोक्ता स्वीकृत रद्द मानी जायेगी।
(क) पूर्व निर्मित राजकीय नलकूप किसी ऐसे राजकीय नलकूप जिसका निर्माण किया जा रहा है, को दूरी आपके प्रस्तावित निजी नलकूप से 200 मीटर से कम नहीं होगी।
(ख) मुख्य नहर से जिसकी ऊपरी चौड़ाई 25 मीटर या इससे अधिक हो दूरी 100 मीटर से कम न होगी।
(ग) राजवाहा या नहर से दूरी 50 मीटर से कम न होगी।
5. यदि आपके बोरिंग पर डीजल पावर का प्रयोग हो रहा है, तो जिलाधिकारी मेरठ से प्रमाण पत्र प्राप्त करके इस कार्यालय में जमा कराना होगा।
6. यदि आप सम्बन्धित स्थान पर विद्युत चोरी/अनियमितता में लिप्त/छापे में पकड़े गये तो वक्त स्वीकृत स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
7. इस पत्र को लेकर सम्बन्धित उपस्थान के अवर अभियन्ता से 7 दिन के अन्दर स्वयं मिलकर साईड का निरीक्षण कराने की जिम्मेदारी आपकी होगी अन्यथा की स्थिति में कृषक रवंय जिम्मेदार होगा।

- अधिशारी अभियन्ता

पत्रांक:-

/वि0वि0ख0-द्वितीय, मवाना /

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त संयोजन निर्गत करने हेतु तकनीकी सम्मव्यता आख्या खण्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप पर भरकर 03 कार्य दिवस के अन्दर खण्ड कार्यालय में उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, उक्त कार्य में विलम्ब के कारण होने वाली किसी भी अप्रिय कार्यवाही हेतु समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

1. उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उपखण्ड-प्रथम, परीक्षितगढ।
2. अवर अभियन्ता 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र-नांरगपुर।

उपभोक्ता द्वारा प्रक्रिया धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है-अंकन रू0 100.00 रसीद संख्या-P53777636,
दिनांक-28.08.2023 के द्वारा जमा कर दी है, रजिस्ट्रेशन नं0-1008318323 है।

अधिशारी अभियन्ता